राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प.23 (2)चिस्वा/ग्रुप–3/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक - 3 SEP 2014

अधिसूचना

गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप–धारा (2) सपठित उप–धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2)चि.स्वा.3/2003 पार्ट दिनांक 1.7.2003, समय–समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति ''शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग'' को अभिव्यक्ति ''विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

अधिप्रमाणित

(चुन्नी लाल कायल)
संयुक्त शासन सचिव
चिकि. एवं स्वा.(ग्रुप-3)विभाग

राज्यपाल की आज्ञा से,

3/9/14

(चुन्नी लाल कायल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक (पी.एन.डी.टी.), स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
10. निदेशक (जन स्वा.)/(प.क.)/(एड्स) मुख्यालय।
11. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.)/(स्वास्थ्य), राजस्थान।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
15. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
16. रक्षित पत्रावली।

(चुन्नी लाल कायल)
संयुक्त शासन सचिव

D:\All Work 2013 Santosh Ji General Letter 2013 285